न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस

रिव्यू प्रार्थनापत्र संख्या 04 / 2023
राजस्व अपील संख्या 103 / 2022

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
1. अजबसिंह पुत्र अचलसिंह जाति–राजपूत निवासी– विरमदेवरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. किशनाराम पुत्र नरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी– खेतोलाई तहसील पोकरण। 2. रामनारायण पुत्र नरसिंगाराम जाति विश्नोई निवासी– खेतोलाई तहसील पोकरण। 3. जसवंतसिंह पुत्र सगतसिंह 4. देवीसिंह पुत्र सगतसिंह 5. श्रीमती राधाकंवर पत्नी सगतसिंह 6. सवाईसिंह पुत्र सगतसिंह जाति–राजपूत निवासी– विरमदेवरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 7. श्रीमती कंवरीदेवी पत्नी रामदीन 8. मोहनलाल पुत्र रामदीन जाति–जाट निवासी– रामदेवरा, तहसील पोकरण जिला जैसलमेर। 9. श्रीमान शाखा प्रबन्धक, एस0बी0आई, शाखा–रामदेवरा। 10. तहसीलदार, पोकरण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2023 जो न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 103 / 2023 अनवान अजबसिंह बनाम किशनाराम वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री गुलाबसिंह चम्पावत, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री लादूराम पूनिया, अधिवक्ता अप्रार्थी 01 की ओर से।
3. श्री नवलसिंह दहिया, राज. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से।
4. शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना तामीली के अनुपस्थित है।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय

दिनांक 26 मार्च, 2025

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनांक 10.07.2023, जो कि न्यायालय हाजा के द्वारा राजस्व अपील संख्या 103/2023 अनवान अजबसिंह बनाम किशनाराम वगैराह में पारित किया गया, के विरूद्ध दिनांक 27.07.2023 को पेश किया गया है।

2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। दौराने सुनवाई प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश में फैस ऑफ रिकार्ड त्रुटि है, जिसके कारण उक्त आदेश रिव्यू करने योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थी संख्या एक व दो के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 129 सपठित धारा 111 राज0 भू राजस्व अधिनियम में प्रार्थी अजबसिंह को अप्रार्थी संख्या एक संस्थित होने एवं आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उन्हें सुनवाई का व प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया था। ऐसे में अपीलाधीन आदेश पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित पारित किया गया था परन्तु अदालत हाजा ने उक्त कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं किया और न ही अपने निर्णय में कोई रीजनिंग व फाईडिंग भी नहीं दी। इस कारण अदालत हाजा के आदेश में फेस ऑफ रिकार्ड त्रुटि है जो कि रिव्यू करने योग्य है। साथ ही मातहत अदालत को पुनः सुनवाई हेतु मैरिट पर निर्णित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करना न्यायोचित है।

3. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी को जारी नोटिस की तामीली आदेश नियम 5 नियम 17 व 19 के तहत व्यक्तिगत रूप से नहीं करवाई गई। सम्मन के पीछे तामील कुनिन्दा के द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई है कि प्रार्थी ने गांव के दो मौतबिरान के सामने नोटिस लेने से इंकार किया है। अतः एक प्रति आबाद मकान पर चस्पा करके पेश की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर प्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दे दिये। न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई अपील में उक्त कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया था परन्तु अदालत हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 10.07.2023 में उक्त कानूनी बिन्दू बाबत कोई रीजनिंग व फाईडिंग नहीं दी है। अदालत हाजा को उक्त तामीली रिपोर्ट से अवगत कराया गया था तथा तामील सम्बन्धी सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश नियम 15 से 19 के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा कर उक्त निर्णय नजीरें भी पेश की गई थी। उसके बावजूद भी अदालत हाजा ने उक्त प्रावधानों की अनदेखी की।

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

4. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रकरण में घटित घटनाक्रम, अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही/ पारित आदेश तथा अपील में उल्लेखित किये गये तथ्यों को पुनः दोहराते हुए यह भी कथन किया कि धारा 111 व सपठित 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान है कि लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर यानि अधीनस्थ न्यायालय को तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवा कर अपना निर्णय पारित करेंगे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की और वादग्रस्त भूमि के पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने कोई रेवेन्यू रेकर्ड व रेवेन्यू नक्शे का सही अवलोकन नहीं किया और अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अदालत हाजा के अपील मीमों में इन सभी तथ्यों का उल्लेख किया गया था परन्तु कानूनी बिन्दू पर कोई रीजनिंग व फाईडिंग नहीं दी गई जो कि फेस ऑफ रिकार्ड त्रुटि है। इस कारण अदालत हाजा का आदेश रिव्यू करने योग्य है। अतः रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2023 स्वीकार किया जा कर अदालत हाजा के आदेश दिनांक 10.7.2023 को रिव्यू करते हुए प्रकरण मैरिट पर निर्णित करने के लिये अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जावे एवं प्रकरण में प्रार्थी को पूर्ण सुनवाई का मौका देकर, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण नये सिरे से निर्णित करने हेतु आदेश प्रदान करें। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरें यथा आआरडी 14.11.2022 पेज 756, आरआरडी 14.10.2010 पेज 647, आरआरडी जनवरी, 2004 पेज 09, आरआरडी जून, 2007 पेज 417 इत्यादि अवलोकनार्थ पेश की, जिनका बगौर अवलोकन किया गया।

न्यायालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

5. प्रत्युतर में दौराने सुनवाई अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि प्रार्थी के द्वारा जो रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वो अस्वीकार करने योग्य है क्योंकि रिव्यू प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सभी कथनों एवं तथ्यों का अदालत हाजा के समक्ष पेश की गई अपील में उल्लेख किया जा चुका है तथा अदालत हाजा के द्वारा उन पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण करते हुए यथोचित आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है।

6. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि उल्लेखित खसरान भूमि के सीमाज्ञान करवाये जाने के समय सीमाज्ञान को स्वीकार नहीं किया गया। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस को लेने से इंकार करने तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर होकर चस्पा किया जाकर तामीली नोटिस अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किये गये। तब अधीनस्थ न्यायालय

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

के द्वारा प्रार्थी अजब सिंह के विरूद्ध नोटिस तामील होना मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी की कार्यवाही उभय पक्षकारान की उपस्थिति में किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थी को उक्त कार्यवाही में भाग लेकर वक्त कार्यवाही उपस्थित होकर सहयोग किया जाना चाहिये था ना कि इस प्रकार का रिव्यू प्रार्थनापत्र पेश कर वाद की बाहुल्यता को बढावा देना चाहिये था।

7. अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि धारा 86 राज0 भू राजस्व अधिनियम के तहत किसी आदेश को उसी स्थिति में रिव्यू किया जा सकता है जब उसमें किसी प्रकार की लिपकीय त्रुटि कारित की गई हो अथवा कानूनी या तकनीकी बिन्दू का भिन्न मतलब निकाला गया हो। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थी के द्वारा पेश किये गये रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2023 को खारिज किया जावें।

8. हमने उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण की ओर से दौराने सुनवाई की गई बहस पर गहनता से चिन्तन व मनन किया तथा न्यायालय हाजा की अपील पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभय पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत की गई निर्णय नजीरों तथा अपीलाधीन आदेश इत्यादि का गहनता से बगौर अवलोकन किया गया, जिससें हम यह पाते है कि प्रार्थी के द्वारा इस रिव्यू प्रार्थना पत्र में न्यायालय हाजा द्वारा राजस्व अपील में पारित किये गये निर्णय दिनांक 10.07.2023 के बाबत मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस की ओर से पेश किये गये धारा 111, 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम के प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रार्थी अजबसिंह के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए रेस्पो0 संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया जबकि तामीली हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा न तो पालन करवाया गया और न ही प्रार्थी के नोटिस पर की गई तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट का गहनता से परीक्षण किया गया और एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

9. इस सम्बन्ध में न्यायालय हाजा की अपील पत्रावली एवं निर्णय दिनांक 10.07.2023 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी की ओर से पेश इस प्रार्थना पत्र में जो आपत्ति/तथ्य उजागर किये गये है, तत्कालीन सम्भागीय आयुक्त के द्वारा अपील पर निर्णय दिये जाने से पूर्व उनका समग्र विवेचन व विश्लेषण किया गया जाकर निष्कर्स में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रार्थी अजब सिंह को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण के विचाराधीन होने की जानकारी रही है एवं जानकारी होने के बावजूद भी वे अपना पक्ष रखे जाने हेतु

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थित नहीं हुए, इस आधार पर उनकी ओर से पेश राजस्व अपील को खारिज किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन किये जाने अथवा रिव्यू प्रार्थना पत्र के जरिये हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। ऐसे में प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2023 खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त तथ्यों पर मनन करने एवं विश्लेषण करने के उपरान्त प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 27.07.2023 खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर